# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

## राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

राजस्व वाद संख्या : 121/2024
निर्णय दिनांक : 22.12.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024/257

दायर दिनांक – 06.12.2024

1. जितेन्द मेघवाल पुत्र घिंसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बाघसरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. नेमाराम मेघवाल पुत्र घिंसाराम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम बाघसरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
3. माला राम पुत्र घिंसा राम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बाघसरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
4. रूपा राम पुत्र घिंसा राम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम बाघसरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
5. रामेश्वरी पत्नि घिसुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बाघसरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–
1. श्री रमेश बिस्सु एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

## –:निर्णय:–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 90 के खसरा संख्या 592 तादादी 16.0591 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 89 के खसरा संख्या 1034/544 तादादी 15.2246 हैक्टेयर वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादीगण का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादीगण का बोलता नाम खेत खाता संख्या 90 के खसरा संख्या 592 तादादी 16.0591 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 89 के खसरा संख्या 1034/544 तादादी 15.2246 हैक्टेयर वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम जितेन्द्र पुत्र घिसूलाल, वादी संख्या 2 का नाम नेमाराम पुत्र घिसूलाल, वादी संख्या 3 का नाम मालाराम पुत्र घिसूलाल, वादी संख्या 4 का नाम रूपाराम पुत्र घिसूलाल व वादी संख्या 5 का नाम रामेश्वरी पत्नि घीसूलाल के नाम खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादीगण का वास्तविक नाम क्रमशः 1. जितेन्द्र मेघवाल पुत्र घिंसाराम, 2. नेमाराम मेघवाल पुत्र घिंसाराम मेघवाल, 3. माला राम पुत्र घिंसा राम, 4. रूपा राम पुत्र घिंसा राम मेघवाल, 5. रामेश्वरी पत्नि घिसुराम है जो कि वादीगण के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत वाके रोही बाघसरा के खेत खाता संख्या 90 के खसरा संख्या 592 तादादी 16.0591 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 89 के खसरा संख्या 1034/544 तादादी 15.2246 हैक्टेयर वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम जितेन्द पुत्र घिरूलाल, वादी संख्या 2 का नाम नेमाराम पुत्र घिसूलाल, वादी संख्या 3 का नाम मालाराम पुत्र घिरूलाल, वादी संख्या 4 का नाम रूपाराम पुत्र घिसूलाल व वादी संख्या 5 का नाम रामेश्वरी पत्नि घीरूलाल खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजो में नाम क्रमशः 1. जितेन्द्र मेघवाल पुत्र घिंसाराम, 2. नेमाराम मेघवाल पुत्र घिंसाराम मेघवाल, 3. माला राम पुत्र घिंसा राम, 4. रूपा राम पुत्र घिंसा राम मेघवाल, 5. रामेश्वरी पत्नि घिसुराम है। अतः वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जितेन्द्र, नेमाराम, मालाराम, रूपाराम के पिता का नाम घिंसाराम एवं रामेश्वरी के पति का नाम घिंसाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र, जनाधार कार्ड की फोटोप्रति, आदि दस्तावेजात में भी वादीगण का नाम क्रमशः 1. जितेन्द्र मेघवाल पुत्र घिंसाराम, 2. नेमाराम मेघवाल पुत्र घिंसाराम मेघवाल, 3. माला राम पुत्र घिंसा राम, 4. रूपा राम पुत्र घिंसा राम मेघवाल, 5. रामेश्वरी पत्नि घिसुराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के खेत खाता संख्या 90 के खसरा संख्या 592 तादादी 16.0591 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 89 के खसरा संख्या 1034/544 तादादी 15.2246 हैक्टेयर वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम जितेन्द्र पुत्र घिसूलाल, वादी संख्या 2 का नाम नेमाराम पुत्र घिसूलाल, वादी संख्या 3 का नाम मालाराम पुत्र घिसूलाल, वादी संख्या 4 का नाम रूपाराम पुत्र घिसूलाल व वादी संख्या 5 का नाम रामेश्वरी पत्नि घीसूलाल खातेदार के स्थान पर क्रमशः 1. जितेन्द्र पुत्र घिंसाराम, 2. नेमाराम पुत्र घिंसाराम, 3. मालाराम पुत्र घिंसाराम, 4. रूपाराम पुत्र घिंसाराम, 5. रामेश्वरी पत्नि घिंसाराम निवासी ग्राम बाघसरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

# डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)**

अज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

जितेन्द्र मेघवाल आदि बनाम राज. सरकार
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती
मुकदमा न0 121 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू-ब-रू हाजरी श्री रमेश बिस्सु एवं निम्नांकित मुद्दई , निम्नांकित मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही बागसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के खेत खाता संख्या 90 के खसरा संख्या 592 तादादी 16.0591 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 89 के खसरा संख्या 1034/544 तादादी 15.2246 हैक्टेयर वाके रोही बागसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी संख्या 1 का नाम जितेन्द्र पुत्र घिसूलाल, वादी संख्या 2 का नाम नेमाराम पुत्र घिसूलाल, वादी संख्या 3 का नाम मालाराम पुत्र घिसूलाल, वादी संख्या 4 का नाम रूपाराम पुत्र घिसूलाल व वादी संख्या 5 का नाम रामेश्वरी पत्नि घीसूलाल खातेदार के स्थान पर क्रमशः 1. जितेन्द्र पुत्र घिसाराम, 2. नेमाराम पुत्र घिसाराम, 3. मालाराम पुत्र घिसाराम, 4. रूपाराम पुत्र घिसाराम, 5. रामेश्वरी पत्नि घिसाराम निवासी ग्राम बागसरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

फीस ........................ मुबलिग ........................ बाबत ........................

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ........................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ........................ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 12. 2024

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

| मुद्दई | रुपया | पै. | मुद्दायलाई | रुपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक<br>मीजान | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील पर<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बावत<br>इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक<br>मीजान | | |

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये